

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 01 / भीलवाड़ा/2014-15

यह प्रमाणित किया जाता है कि पुष्पदेवकुमार लाल सोसायटी भीलवाड़ा  
जिला-भीलवाड़ा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के  
के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 07 माह अप्रैल

सन दो हजार चौदह को भीलवाड़ा में दिया गया।

89

रजिस्ट्रार

संस्थारं, भीलवाड़ा